महेन्द्र बनाम सतपाल आदि

...ा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या वर्ष 2025

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23.09.2025	वकुलाए फरिकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि सांझा खाता की भूमि है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होकर अच्छी अच्छी भूमि को विक्रय करने पर उतारू है। अगर वे अपने मकसद में कामयाब होते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सांझा खाता की कृषि भूमि है। जिसका अप्रार्थीगण को उपयोग उपभोग का अधिकार है तथा सांझा खाता की भूमि में सहकाश्तकार अच्छी–अच्छी भूमि या विशिष्ट भू–भाग की भूमि का बैचान नहीं कर सकते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्ररकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं साम्य न्याय का सिद्धान्त के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित किये जाते है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा फरिकैन अपना अपना वहन करेगें। आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.10.24 16:39:09 IST
Reason: SelfAttested